

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या FAR/13168/2021-2022

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **RAJGANGA EDUCATIONAL SOCIETY, 6/2 Awas Vikas Colony UP, फरुक्खाबाद, 209625** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण पत्र दिनांक **15/02/2022** तक विधिमान्य होगा। आज दिनांक **16/02/2022** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।



Digitally Signed By
(akhilesh chandra MAURYA)
7303EA10B1918A05BDAE7DA4554C1288120C4FA2

Date: 16/02/2022 3:11:15 PM, Location: Kanpur.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

